# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 487/2024**

मनीष कुमार कुमावत –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर।
4. सतपाल ढिलाण, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, रेंज नीम का थाना, उपवन संरक्षक सीकर से विकास, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर हेतु स्थानान्तरणाधीन

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 07.03.2024
**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति वनपाल के पद पर मई 2016 में की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.05.2016 कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति सितम्बर 2023 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई है। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत् है। आदेश दिनांक 28.09.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की वन सेवा नियमों के अन्तर्गत वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का पदस्थापन उपवन संरक्षक बस्सी से रेंज विराटनगर, उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को उक्त स्थान पर 4 माह 21 दिवस ही हुए है। 4 माह 21 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.04.2011 के विपरीत जाकर अपीलार्थी का आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा रेंज विराट नगर उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर से रेंज अनुसंधान कार्यालय उपवन संरक्षक

वन्यजीव, भरतपुर में स्थानान्तरण किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी का आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा रेंज नीमका थाना उपवन संरक्षक सीकर से विकास कार्यालय मुख्य वन संरक्षक अजमेर में किया गया था। किन्तु निजी प्रत्यर्थी ने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का अल्पावधि में किया गया स्थानान्तरण आदेश अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। राज्य सरकार के परिपत्र/स्थानान्तरण निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–4) के अनुसार राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत् निर्देश जारी किये गये जिसके नियम सं. 1.1 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत् निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा अर्थात् किसी कर्मचारी को एडजस्ट करने के लिए किसी कर्मचारी का दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उक्त निर्देश शासन उप–सचिव द्वारा अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी किया गया आदेश है। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 के उक्त आदेश के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का 4 माह 15 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए स्थानान्तरण किया गया है, जो उक्त निर्देशों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–5) को प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु सं. 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा स्थगन आदेश को पुष्ट किया तथा रिट याचिका स्वीकार की तथा प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश के अनुसार उचित ठहराव के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण करने की छूट प्रदान की। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी का 4 माह 21 दिवस की अल्पावधि में ही आलौच्य आदेश के द्वारा विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु सं. 1.1 के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। माननीय अधिकरण ने भी अपील सं. 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया था। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण ने अपील सं. 1141/2023 रघुनाथाराम बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 28.08.2023 को तथा अपील सं. 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 11.01.2023 को अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश

जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम सरकार में दिनांक 10.04.2019 को यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश नजरअंदाज करने के लिए नहीं है। उनके आदेशों के अनुसार ही विभाग को स्थानान्तरण करने चाहिए (अनुलग्नक–8 से 10)। निजी प्रत्यर्थी सं. 4 का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–11) द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज नीम का थाना, उपवन संरक्षक, सीकर से विकास, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर में किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अजय कुमार बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक को स्वयं की इच्छा पर पदस्थापित करने के आशय से किसी अन्य कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाता है तो वह अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज विराटनगर, उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर में ही पदस्थापित रखने के आदेश प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर यह अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जा रही है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज विराट नगर उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर से रेंज अनुसंधान कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव, भरतपुर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की जाकर रेंज विराटनगर, उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर में दिनांक 29.09.2023 से कार्यरत है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has*

> *no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**